


144

सा/निगा०/सि/भू-श०/2017/2902

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट

रीवा, जिला रीवा (म०प्र०)



बालमुकुन्द शर्मा पिता श्री हीरालाल शर्मा,  
निवासी ग्राम कोठार, तह० हनुमना जिला रीवा (म०प्र०)

आवेदक

बनाम्

अधि-क्षी मुनेष्ट सिंगल  
बैसा देसा 26-8-17

फाजद कोर्ट  
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर  
(सर्किट कोर्ट) रीवा

1. शिव कुमार पाण्डेय तनय स्व० श्री बद्री प्रसाद पाण्डेय, निवासी ग्राम बैसा, तह० हुजूर जिला रीवा (म०प्र०)
2. यतीन्द्र शुक्ला तीनों के पिता स्व० गोकरण
3. रवीन्द्र शुक्ला
4. आनन्द शुक्ला
5. रामनारायण पिता स्व० अनंतराम शुक्ला निवासी रामपुर बघेलान जिला सतना (म०प्र०)

अनावेदकगण

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी महोदय तह० हुजूर जिला रीवा म०प्र०, प्रकरण क्र 63 अ-6/14-15 आदेश दिनांक 28.08.2017 में पारित

पुनरीक्षण आवेदन अंतर्गत धारा 50 म०प्र० भू - राजस्व संहिता

मान्यवर

पुनरीक्षण से संबंधित संक्षिप्त तथ्य निम्न हैं :

अ- आराजी न. 266 रकवा 0.291 हे० स्थित ग्राम बैसा, तह० हुजूर, तह० हुजूर जिला रीवा म०प्र० के मालिक स्व० पियरिया देवी पत्नी स्व० श्री राधिकाराम पुत्री हीराराम निवास ग्राम वैसा तह० हुजूर, सर्किल गोविन्दगढ़ जिला रीवा म०प्र० की थी।

M

MP

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

मामला क्र० III/निगरानी/रीवा/भू-रा०/2017/2902

जिला-रीवा

बालमुकुन्द शमा/शिव कुमार पाण्डेय वगैरः

(1)	(2)	(3)
23.01.18	<ol style="list-style-type: none"><li>1. प्रकरण प्रस्तुत।</li><li>2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है।</li><li>3. चूकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा-35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।</li><li>4. आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे, तत्पश्चात् प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो।</li></ol> <p style="text-align: right;"> सदस्य</p>	